आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
04/11/25	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।** P.A.A Case No. -02/2023-24 बिल्की पंडिताईन **बनाम** सुधीर मंडल एवं 16 आना रैयत। **आदेश** यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद P.A. Case No-02/2018-19 में दिनांक-25.03.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद P.A. Case No-02/2018-19 में दिनांक-25.03.2023 को पारित आदेश में अंकित है कि ''वर्तमान में इस मौजा में प्रधान कार्यरत है। यह मौजा 08 आना प्रधानी है, ऐसा दस्तावेज उपस्थापित नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही चलाना न्यायसंगत नहीं है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।'' उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता सहमत है कि प्रहलाद मंडल की मृत्यु हो चुकी है। प्रहलाद मंडल के मृत्यु के पश्चात उक्त वाद में पक्ष रखने हेतु उनके पुत्र सुधीर मंडल की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा के साथ आवेदन दाखिल किया गया है। सुधीर मंडल को उक्त वाद में पक्ष रखने हेतु स्वीकृती दी गई। उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा वाद के कार्यवाही समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया। अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद P.A. Case No-02/2018-19 में दिनांक-25.03.2023 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के अनुरोध पर वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। Anand 04/11/25 उपायुक्त, जामताड़ा। Anand 04/11/25 उपायुक्त, जामताड़ा।	10/11/25 7.11.25

Digitally signed by RAVI ANAND
Date: 2025.11.14 10:39:54 +05:30
Location: 192.168.1.106